बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

दिनांक–01.07.2015 को श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में मगध प्रमंडल के जिलों से सम्बन्धित राजस्व मामलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी अनुसार।

दिनांक–01.07.2015 को गया समाहरणालय के सभाकक्ष में माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री नरेन्द्र नारायण यादव की अध्यक्षता में मगध प्रमंडल के सभी जिलों यथा नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद की राजस्व मामलों से सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार है :–

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी, अभियान बसेरा, बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनु0 जाति/जन जाति के परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014 आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण संकल्पों/परिपत्रों की प्रति सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया। प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी, अभियान बसेरा को सफल बनाने हेतु एवं अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा के लिए प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का स्वागत करते हुए उनसे प्रमंडलीय बैठकों के उद्देश्य एवं सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी, अभियान बसेरा आदि पर अपने विचार एवं मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया। माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा कि भूमि सुधार का निपटान विभाग की प्रथम प्राथमिकता है। ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी के अन्तर्गत सभी पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर दाखिल कब्जा दिलाया जा रहा है। बेदखल पर्चाधारियों की सूची जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित की जा रही है। पर्चाधारियों को उनके भूमि से बेदखल करने वाले के विरूद्ध अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण एवं अन्य अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाईयाँ की जा रही है। सुयोग्य श्रेणी के यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग आदि के परिवारों को बाजार दर पर क्रय करके 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सुयोग्य श्रेणी के वासगीत परिवारों को Cluster में बसाने का प्रयास किया जा रहा है। गैर मजरूआ आम भूमि के बन्दोबस्ती की शक्ति जिला पदाधिकारी में निहित कर दी गयी है। संपर्क पथ से विभिन्न टोलों को जोड़ने की योजना चलायी जा रही है। लीज पर भूमि लेने का प्रावधान किया गया है ताकि भू–अर्जन की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। चकबंदी के कार्यों में भी तेजी आयी है।

1. ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी :– मई, 2015 में हुए स्थानान्तरण के फलस्वरूप दोनों जिलों में अधिकांश नये अंचलाधिकारी पदस्थापित हुए है। प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि नये पदाधिकारियों का पदस्थापन होने के कारण यह बैठक आवश्यक है ताकि सरकार के महत्वपूर्ण अभियानों/योजनाओं से सम्बन्धित संकल्पों/परिपत्रों की कुल जानकारी सभी नवपदस्थापित पदाधिकारियों को दी जा सके। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के अन्तर्गत बेदखल पर्चाधारियों को उन्हें आवंटित भूमि पर 31 मार्च, 2015 तक कब्जा दिलाने का लक्ष्य था। परन्तु, कई कारणों से यह कार्य पूरा नहीं हो सका। विभागीय पत्रांक–122/C, दिनांक–01.04.2015 के द्वारा पूर्व निर्धारित समय सीमा को 30 जून, 2015 तक विस्तारित किया गया है। मार्च–अप्रैल, 2015 में ओलावृष्टि, चक्रवाती तुफान तथा भुकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राहत वितरण आदि में संलग्न रहने के कारण दखल–देहानी का कार्य बाधित हुआ इसलिए ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी को सितम्बर, 2015 तक विस्तारित किया गया है, ताकि शत–प्रतिशत बेदखल पर्चाधारियों को दखल–कब्जा दिलाया जा सके। इसके पश्चात ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से सम्बन्धि परिपत्र संख्या–590, दिनांक–08.09.2014 के प्रावधानों, प्रपत्र–1,2,3 तथा दखल–देहानी के लिए की जानेवाली कार्रवाईयों की विस्तृत जानकारी सभी अंचलाधिकारियें को दी गयी।

पंचायत स्तर पर विशेष कैम्पों का आयोजन कर इन अभियानों का प्रचार–प्रसार किया जाय। 8–9 महीनों से ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी के अन्तर्गत कार्रवाईयाँ की जा रही है। परन्तु अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस बल की प्रर्याप्त व्यवस्था के लिए प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग एवं पुलिस महानिदेशक को पत्र दिया गया है। सम्बन्धित जिला पदाधिकारी पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर इस कार्य के लिए प्रर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करायेंगे। कतिपय मामले ऐसे भी आये है जहाँ पर्चाधारियों ने आवंटित भूमि को बेच दिया है। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश निर्गत किये गये है। पर्चा inheritable (वंशानुगत) होते है परन्तु transferable (हस्तांतरणीय) नहीं होते है, दूसरे शब्दों में पर्चा inalienable (अविच्छेद्य) होते है। यदि पर्चा में निहित भूमि को बेच दिया गया है तो उससे सम्बन्धित जमाबंदी को रद्द कर दिया जायेगा एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के बीच भूमि वितरित की दी जायेगी।

अरवल एवं जहानाबाद जिले में प्रपत्र–1 की विवरणी की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। अन्य जिलों नवादा और गया में भी प्रपत्र–1 में वेबसाईट पर प्रकाशित करने की स्थिति अच्छी नहीं है। गया जिले में सिलिंग की भूमि से दिये गये पर्चों की विवरणी काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पायी है। गैरमजरूआ आम भूमि से दिये गये पर्चे के सम्बन्ध में काफी विवरणी की प्रविष्टी करना शेष है। औरंगाबाद जिले में क्रयनीति के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये पर्चे में काफी प्रविष्टियाँ बची हुई हे। इसी प्रकार भूदान यज्ञ समिति से सम्बन्धित पर्चों के सम्बन्ध में अरवल जिले के आँकड़ों में काफी अंतर प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निदेश दिया कि किसानों के संगठनों के माध्यम से पर्चों की सूचना प्राप्त की जाय तथा पंजियों की जाँच की जाय। उन्होनें कहा कि गया जिला भूदान

के मामले में काफी व्यवस्थित रहा है। साथ ही उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि जहानाबाद जिले में प्रतिवेदित भूदान के पर्चों से अधिक वेबसाइट पर अपलोड कैसे हो गया। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद ने बताया कि जिले के भूदान मंत्री बैठकों में नहीं आते है। जब कभी आते है तो वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराते है। उन्होंने पंजियों को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। परन्तु कार्य अभी तक नहीं हुआ है। नवादा जिले के मामले में भूदान के पर्चे की विवरणी कम अपलोड करने के सम्बन्ध में भूदान मंत्री से पूछा गया कि नवादा जिले में क्यों कार्य प्रगति में नहीं है। विमर्श के पश्चात यह तय हुआ कि चूँकि भूदान मंत्री अन्य जिलों के प्रभार में भी है तो सोमवार–मंगलवार नवादा के लिए निश्चित किया गया।

अंचलवार समीक्षा में यह पाया गया कि औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा में स्थिति संतोषजनक नहीं है। बारूण अंचल की भी स्थिति अच्छी नहीं है। अंचलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने दिनांक–26.06.2015 को वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए शत–प्रतिशत विवरणी NIC को उपलब्ध करा दी है। दाऊदनगर की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। अंचलाधिकारी ने बताया कि वे अतिरिक्त प्रभार में है। समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इनके वास्तविक पदस्थापन का अंचल ओबरा में भी स्थिति अच्छी नहीं है। प्रधान सचिव महोदय ने निदेश दिया कि हल्का में संधारित पंजियों की छान–बीन कर ली जाय। अनुमंडल कार्यालयों में बंडलों में बाँधकर रखे गये कागजातों की छानबीन की जाय ताकि अधिक–से अधिक पर्चों के बारे में सूचना प्राप्त हो सके। उन्होनें कहा कि सरकार ने पर्चा दिया परन्तु सरकार को यदि पता न हो कि किसे किस प्रकार की भूमि दी गयी है, यह आश्चर्य का विषय है। सूचनाओं के प्रविष्टियों में किसी प्रकार का आलस अवांछनीय होगा। गया जिला के टेकारी एवं गुरारू अचंल में स्थिति अत्यन्त दयनीय है। प्रधान सचिव ने विशेष कैम्प का आयोजन लगातार किये जाने का निदेश दिया। व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी को अपने नेतृत्व में ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी के कार्यों का निष्पादन कराने का निदेश दिया गया। नवादा जिले के संदर्भ में प्रपत्र–1 में लगभग 20,000 प्रविष्टियाँ बाकी है। अपर समाहर्त्ता, वारसलीगंज ने बताया कि 9,000 प्रविष्टियाँ बाकी है। प्रधान सचिव ने पृच्छा की कि क्या समाहर्त्ता की सहमति प्राप्त है। यदि प्राप्त है तो इस सम्बन्ध में पत्र भेजा जाय। पत्र में अंकित होना चाहिए कि पर्चाधारियों की संख्या कम करने के प्रस्ताव में समाहर्त्ता की सहमति प्राप्त है। अरवल जिले में मात्र 492 बेदखली के मामले चिन्हित किये गये है। प्रधान सचिव महोदय ने निदेश दिया कि पूर्व से रणनीति बनाकर विशेष शिविरों में बेदखली के मामले में विशेष ध्यान दिया जाय। इसी प्रकार गया के ईमामगंज, डुमरिया तथा बाँके बाजार औरंगाबाद के कुटुम्बा में प्रपत्र–1, 2 एवं 3 की स्थिति अच्छी नहीं है। जहानाबाद के घोषी, हुलासगंज आदि में बेदखली के मामले शून्य प्रतिवेदित किये गये है जो न संभव ही नहीं है। अतः यह निदेश दिया गया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार विशेष शिविरों के आयोजन किये जाए। इस शिविरों का प्रचार–प्रसार कराया जाय।

2. **महादलित विकास योजना** :– औरंगाबाद, अरवल एवं गया में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हो चुकी है जबकि जहानाबाद में 93.7% एवं नवादा में 43.7% लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। अपर समाहर्त्ता, नवादा ने बताया कि 1709 परिवारों से सम्बन्धित अभिलेख तैयार है।

3. **अभियान बसेरा** :– विशेष सचिव महोदय ने अभियान बसेरा के सम्बन्ध में निर्गत परिपत्रों की जानकारी बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दी। बताया कि अभियान बसेरा के अन्तर्गत तीन मदों में राशि दी जाती है। गृह स्थल योजना के अन्तर्गत सभी सुयोग्य श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग आदि को भूमि उपलब्ध करायी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों को Tribal Sub-Plan (TSP) तथा महादलित विकास योजनान्तर्गत महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध करायी जाती है। अभियान बसेरा के अन्तर्गत यथासंभव परिवारों को Cluster में बसाने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–153 (8)/रा0, दिनांक–09.02.2015 का उल्लेख करते हुए उन्होनें उसके आलोक में कार्रवाई करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया। वासरहित परिवारों को वास हेतु 5 डिसमिल जमीन तथा Cluster (यथा संभव 20 परिवारों) को बसानें के संदर्भ में 5 डिसमिल जमीन प्रति परिवार अथॉत् (100 डि0 वास हेतु) वासभूमि के आधार पर 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने की नीति वितरित की गयी।

इसके पश्चात जिलावार समीक्षा एवं विकल्पों की समीक्षा की गयी। सभी जिला पदाधिकारियों से विमर्श किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि दिनांक–30.09.2015 तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि क्रयनीति से सम्बन्धित अभिलेख इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि अन्य सरकारी भूमि अर्थात् गैर मजरूआ आम, मालिक उपलब्ध नहीं है। लाभुक को आवंटित करनेवाली भूमि पर लाभुक की सहमति प्राप्त कर ली जाय। यह भी देख लिया जाय कि भूमि वास योग्य हो। साथ ही संपर्क पथ भी होनी चाहिए। यदि न हो तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि दिनांक–30.09.2015 तक सर्वेक्षण का कार्य करने के पश्चात as on date का Ceritificate उपलब्ध करा दिया जाय।

4. बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनु0 जाति/जन जाति के परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014:– विभागीय संकल्प संख्या–788/31.12.2014 की प्रति बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी एवं इसकी विस्तृत जानकारी दी गयी। जिसमें परिवारों का सर्वेक्षण, भूमि का सर्वेक्षण, लाभुक के लाभ लेने की पात्रता आदि शामिल थे। गया जिले के बारे में बताया गया कि गया जिले में गया नगर निगम टेकारी, बोधगया एवं .शेरघाटी नगरीय क्षेत्र है। इन नगरीय क्षेत्रों के परिवारों का सर्वेक्षण हो गया है परन्तु भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक–31.08.2015 तक भूमि का सर्वेक्षण कर लिया जायेगा। औरंगाबाद जिले के नवीनगर, औरंगाबाद नगरीय क्षेत्र है जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक–31.08.2015 तक भूमि का सर्वेक्षण कर लिया जायेगा। अरवल जिला में अरवल नगरीय क्षेत्र है। नवादा के नगरीय क्षेत्र

नवादा में भी सर्वेक्षण का कार्य 3 माह के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा। प्रधान सचिव महोदय ने दिनांक–30.09.2015 तक सभी परिवारों एवं भूमि का सर्वेक्षण कर लेने का निदेश दिया।

5. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कोर्ट में लंबित वादों की स्थिति :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता वार लंबित वादों की समीक्षा की गयी। अरवल जिले के अरवल अंचल में 109 गया जिले के नीमचक बथानी में 102 एवं नवादा जिले के रजौली अचंल में 110 लंबित वादो की संख्या पायी गयी। लंबित मामलों को शीघ्र निपटान करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कोर्ट के द्वारा पारित अनुदेशों का अनुपालन करना भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का ही दायित्व है। प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि लंबित वादों का निष्पादन ससमय न होने के कारण मामले उच्च न्यायालय तक पहुँच रहे है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारियों की बैठक बुलाकर लंबित मामलों की समीक्षा करें एवं उचित मार्गदर्शन दिया जाय।

बैठक में पूर्व प्रधान सचिव, डॉ0 सी0 अशोकवर्द्धन द्वारा BLDR Act के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। बताया गया कि धारा–6 में जिन आवंटियों को सरकारी भूमि दी गयी है उनके भूमि की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी को विशेष शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिनियम की धारा–4 के उपधारा–(ii) के अन्तर्गत जिन मामलों में 'Comlplex Question of Title' दृष्टिगोचर हो इन मामलों में न्याय निर्णय हेतु सिविल कोर्ट में वाद दायर करने के लिए आवंटियों को परामर्श दिया जा सकता है।

6. दाखिल–खारिज :– दाखिल–खारिज राजस्व शिविर सहित संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, श्री विनोद कुमार झा के द्वारा दाखिल–खारिज के मामलों के निष्पादनार्थ किये जाने वाले कार्यों एवं इसके निमित्त विशेष शिविर के आयोजन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। उनके द्वारा दाखिल–खारिज नीति के विभिन्न बिन्दु पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी जैसे–प्राप्त आवेदन का संधारण Form-3 के तहत किया जाय। Form-4 में प्राप्ति रसीद काट कर दिया जाना आदि। विशेष शिविरों में आवेदन में उल्लेखित खाता–खेसरा आदि में कोई आपत्ति न हो तो Disposal On Spot कर दिया जाय। यदि कोई आपत्ति प्राप्त हो तो सुनवाई कर इसका निष्पादन कर दिया जाया। 15 दिनों बाद पुनः उसी स्थान पर शिविर लगाकर शुद्धिपत्र एवं रसीद निर्गत कर दिया जाय। आपत्ति होने की स्थिति में अंचल में सुनवाई की जाय। प्रधान सचिव महोदय ने सुझाव दिया कि राजस्व सम्बन्धित पदाधिकारी Whats App Download कर लें जिससे सूचनाओं के आदान–प्रदान में काफी सहुलियत होगी। इसके उपरान्त अंचलवार समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि अरवल जिले के कलेर एवं अरवल में क्रमशः 25% एवं 24% Service Deniel किये गये है। प्रधान सचिव महोदय ने निदेश दिया कि Service Deniel के मामले को वरीय पदाधिकारी से जाँच करा लिया जांय। औरंगाबाद के ओबरा, गया के बाराचट्टी आदि की भी स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, श्री विनोद कुमार झा द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि Semblance of Titlle तथा यदि Court का प्रतिकूल आदेश न हो एवं दखल–कब्जा हो ऐसे में राजस्व शिविरों में दाखिल–खारिज करने में कोई

कठिनाई नहीं है। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि व्यापक प्रचार–प्रसार के द्वारा दाखिल–खारिज कैम्पों में दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन के लिए एक आदर्श आदेशफलक परिचारित किया गया है। जिससे शिविरों में दाखिल–खारिज में सहुलियत होगी।

प्रधान सचिव महोदय ने निदेश दिया कि Frequently Asked Question तैयार कर लिया जाय एवं इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय। Frequently Asked Question तैयार करने के लिए संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, श्री विनोद कुमार झा को निदेश दिया गया।

7. भू–हदबंदी :– प्रधान सचिव महोदय ने सभी लंबित वादों के मामलों में प्रक्रिया में गति लाने तथा वैसे मामलों में जहाँ ज्यादा भूमि निहित हो तो अधिक ध्यान देने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव महोदय द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि यह देख लिया जाय कि भूमि वितरण के अयोग्य क्यूँ है। न्यायालय में लंबित वादों की श्रेणी को वितरण के अयोग्य की श्रेणी से अलग कर लिया जाय। जिला पदाधिकारी, अरवल ने बताया कि 135 एकड़ भूमि भू–हदबंदी के अन्तर्गत वितरण योग्य पाया गया है जिसे शीघ्र वितरण कर लिया जायेगा।

8. भू–दान :– प्रधान सचिव महोदय ने निदेश दिया कि जिला पदाधिकारी अपने स्तर से भूदान के मामले में सम्पुष्टि एवं वितरण के मामलों की समीक्षा कर लें। समीक्षा के दौरान यह भी पुष्टि कर ली जाय कि भूदान की बची जमीन का दुरूपयोग नहीं हो रहा है। जिला पदाधिकारी, गया तथा औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि संपुष्टि के लिए कोई मामला बचा हुआ नहीं है। अन्य जिलों को भी समीक्षा करने का निदेश दिया गया। अंचलाधिकारी, नवादा द्वारा बताया गया कि विनोबा नगर से खतियान में भूमि भूदान यज्ञ समिति के नाम से है तो वितरण की कार्यवाही होगी। अंचलाधिकारी उसका विधिवत दाखिल–खारिज करेंगे। प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि वितरण पंजी का सही ढंग से संधारण कराया जाय।

10. डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण :– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा गया के टनकुप्पा एवं मोहरा में भूमि अनुपलब्धता के बारे में बताया गया। जिला पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि टनकुप्पा के लिए भूमि की व्यवस्था की जा रही है। जिसमें निदेश दिया गया कि लीज नीति के अन्तर्गत भी जमीन ली जा सकती है।

9. भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना की स्थिति :– सभी जिलों ने कार्य में प्रगति की सूचना दी। सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप ने सभी जिलों से वेबसाइट पर अपलोड करने का अनुरोध किया। यह भी अनुरोध किया गया कि निविदा कर शीघ्र राशि की मांग कर ली जाय। जिन जिलों ने राशि की मांग की है, उन्हें दिनांक–30.07.2015 तक राशि आवंटित करा दी जाय।

10. कृषि गणना :– कृषि गणना का कार्य अरवल में शत प्रतिशत प्रतिवेदित है। कृषि गणना के लिए जिला संख्यिकी पदाधिकारी तथा सम्बन्धित जिले के अपर समाहर्त्ता जिम्मेवार होते है।

संयुक्त निदेशक, कृषि गणना ने बताया कि 16 जुलाई से 10वें कृषि गणना का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि इससे पूर्व सभी जिले अपना प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें।

11. अन्यान्य :– बैठक में सभी जिलों के अपर समाहर्त्ताओं ने बताया कि जिले में नवपदस्थापित अचंलाधिकारियों को सामान्य शिष्टाचार, सरकार के महत्वपूर्ण अभियानों यथा ऑपरेशन दखल–देहानी, अभियान बसेरा आदि तथा सरकार के योजनाओं से सम्बन्धित संकल्पों/परिपत्रों आदि की जानकारी का अभाव है।

अतः प्रधान सचिव महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी अपने जिलों में दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्याशाला का आयोजन कर नये पदस्थापित अंचलाधिकारियों को सामान्य शिष्टाचार, सरकार के महत्वपूर्ण अभियानों/योजनाओं से सम्बन्धित संकल्पों/परिपत्रों आदि की जानकारी दी जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/- 16/7/15

(शशिभूषण तिवारी)
विशेष सचिव।

891 (7) 21(क)

ज्ञापांक– 7/बेदखली-(विविध)-21(क)/14 /रा0 पटना–15, दिनांक–..............................

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, भूदान यज्ञ कमिटि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Fax/E-mail प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, नवादा/गया/जहानाबाद/अरवल एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अपर समाहर्त्ता, नवादा/गया/जहानाबाद/अरवल एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा/गया/जहानाबाद/अरवल एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा/गया/जहानाबाद/अरवल एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी, नवादा/गया/जहानाबाद/अरवल एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/- 16/7/15

विशेष सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।